

**अध्याय-८ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० बोर्ड, समितियों का
विवरण**

निगम का संचालन संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसका गठन निगम के प्रशासनिक विभाग खाद्य तथा रसद विभाग, ३०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ६७०/२९-८-९८-एम३८/७५ दिनांक १६ जुलाई, १९९८ द्वारा निम्नवत् किया गया है :-

क्रमांक निदेशक मण्डल में निदेशक का पदनाम व विभाग

- १- अध्यक्ष,
उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०
- २- उपाध्यक्ष
उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०
- ३- प्रमुख सचिव/सचिव,
खाद्य तथा रसद विभाग,
- ४- आयुक्त ,
खाद्य तथा रसद अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- ५- प्रमुख सचिव/सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
३०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- ६- प्रमुख सचिव/सचिव,
सहकारिता विभाग,
३०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- ७- प्रमुख सचिव/सचिव,
नियोजन विभाग,
३०प्र०शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- ८- प्रमुख सचिव/सचिव,
वित्त विभाग,
३०प्र० शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- ९- वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक
भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ अथवा उनके द्वारा
नामित अधिकारी ।
- १०- अधिशाषी निदेशक,
३०प्र०राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
लखनऊ व उनके द्वारा नामित अधिकारी ।
- ११- नियंत्रक,
माप विधिक माप विज्ञान विभाग अथवा
उनके द्वारा नामित अधिकारी
- १२- प्रबन्ध निदेशक
३०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०

विभागीय प्रतिनिधि

- राज्य सरकार द्वारा नामित
- राज्य सरकार द्वारा नामित
- निदेशक
- खाद्य तथा रसद विभाग, ३०प्र०
शासन के प्रतिनिधि के रूप में।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग के
प्रतिनिधि के रूप में ।
- सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि
के रूप में।
- नियोजन विभाग के प्रतिनिधि के
रूप में।
- वित्त विभाग के प्रतिनिधि के
रूप में ।
- भारतीय खाद्य निगम के
प्रतिनिधि के रूप में ।
- ३०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण
निगम के प्रतिनिधि के रूप में।
- विधिक माप विज्ञान विभाग के
प्रतिनिधि के रूप में ।
- निगम के प्रबन्ध निदेशक के
रूप में।

उक्त के अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा-२९२ ए के अन्तर्गत निदेशक मण्डल की बैठक दि० ५-९-२००१ में आडिट कमेटी का निम्नवत् गठन किया गया है:-

- १- प्रबन्ध निदेशक
- २- वित्त विभाग द्वारा नामित निदेशक
- ३- नियोजन विभाग द्वारा नामित निदेशक
- ४- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नामित निदेशक